

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

Phone : 0172-2590505

Fax : 0172-2586026

## HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD (Regd. Under Societies Registration Act, 1860)

क्रमांक : SSA/PIg/ - 46318 - 38

दिनांक: 19/3/2015


सेवा में,

सभी जिला परियोजना संयोजक,  
हरियाणा।

विषय: पुस्तक मेले हेतु।

दिनांक 24.03.2015 से 31.03.2015 तक मण्डल स्तर पर पुस्तक मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यालय के पत्र क्रमांक SSA/PIg/46007-27 दिनांक 18.03.2015 में मेलों के कार्यक्रम बारे जानकारी दी गई है। पुस्तक मेलों के दौरान आपके द्वारा निम्न कार्य किये जाने हैं:-

1. आपके जिले के सभी हाई व व0 मा0 विद्यालय को मेलों बारे सूचना देना।
2. विभाग द्वारा भी प्रत्येक हाई व व0 मा0 विद्यालय को 10975/- रुपये की राशि दी गई है। इस राशि की भी पुस्तकें मेलों के दौरान खरीदी जानी है।
3. सभी स्कूलों को निर्देश जारी करें कि मेलों में भाग लेना अनिवार्य है। NCERT व NISCAIR के पुस्तक खरीद आदेश को पूर्ण रूप से भर कर ले जाएं।
4. मेले में आप स्वयं भाग लेंगे व मेले में अस्थायी कार्यालय स्थापित करेंगे जो निम्न कार्य करेगा:-
  - स्कूलों के सभी प्रतिनिधियों के उपस्थिति लगवाएं। हस्ताक्षर शीट पहले से ही तैयार कर के ले जाएं जिसमें प्रत्येक स्कूल के कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो सकें।
  - सभी स्कूलों के NCERT व NISCAIR की पुस्तक खरीद आदेशों को एकत्रित करेंगे व इनको सम्भाल कर कम से रखेंगे।
  - NBT के खरीद आदेश की एक प्रति DPC कार्यालय लेगा।
  - NCERT, NISCAIR व NBT को कितने कितने रुपये के खरीद के आदेश दिये गये हैं यह जानकारी अगले दिन निदेशालय को भिजवायेंगे।
  - यदि कोई स्कूल पुस्तक मेले में अनुपस्थित रहता है तो इस बारे जानकारी निदेशालय को [sientbhiwani@gmail.com](mailto:sientbhiwani@gmail.com) पर उसी दिन उपलब्ध करवायेंगे।
5. अनुपस्थित रहे स्कूल को आदेश जारी करें कि अगले दिन जहां भी मेला हो उस में भाग लेगा व खरीद के आदेश देगा।

  
सलाहकार (योजना)  
कृते राज्य परियोजना निदेशक।



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

Phone : 0172-2590505

Fax : 0172-2586026

## HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD (Regd. Under Societies Registration Act, 1860)

पृष्ठांकन क्रमांक: SSA/Plg/-46334-46568

दिनांक 19/3/2015

उपरोक्त की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा।
2. सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी, हरियाणा।

सलाहकार (योजना)  
कृते राज्य परियोजना निदेशक।